चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ''मिशन शक्ति अभियान-4'' के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

''मिशन शक्ति अभियान-4'' व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं

बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय, उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कन्नौजिया एवं उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ दीपू मिश्रा पुत्र हीरालाल मिश्रा निवासी अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 02 किलो 110 ग्राम सूखा गांजा व बिना रजिस्ट्रेशन की मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन न0 UP 96 E 9075 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सरधुवा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन न0 की मोटर साइकिल को एमवी एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत सीज किया गया।

<u>बरामदगी-</u>

1.02 किलो 110 ग्राम सूखा गांजा

2. बिना रजिस्ट्रेशन न0 मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन न0 UP 96 E 9075

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 155/15 धारा 380,411,457 भादवि0 एवं धारा 3 सार्वजिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट।

2.मु0अ0सं0 48/21धारा 323,325,506 भादवि0 एवं धारा 3(1) घ एससी0 एसटी0 एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।

3.मु0अ0सं0 146/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरधुवा।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा
2.उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कन्नौजिया
3.आरक्षी अतुल मिश्रा
4. आरक्षी शक्ति सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0यूटी0 श्री प्रखर प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा वाद सं0 196/024 धारा 125 सीआरपीसी के वाँछित अभियुक्त मनोज पुत्र चुनवाद निवासी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत एनसीआर नंबर 234/2021 धारा 323,504 भादवि0 के अभियुक्त 1. बलुवा पुत्र श्रीकिशन 2.रजइया पुत्र श्रीकिशन 3. देवनाथ पुत्र बलुआ निवासीगण ग्राम वीरधुमाई सुरकी थाना राजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1500-1500/- रुपयेके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

(7). आज दिनाँक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु सुझाव लिये गये।

इस गोष्ठी में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा रामघाट क्षेत्र में चारों धाम यात्रा के नाम पर श्रद्धालुओं से वाजिब किराए के स्थान पर भारी भरकम वसूली पर ध्यान आकृष्ट किया गया और ऐसा करने वालो के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। इसके साथ ही राणन तालाब एवं रानीपुर भट्ट तालाब के अमृत सरोवर घोषित हो जाने के कारण आगामी दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर आने वाली समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और प्रयागराज रोड़ स्थित खोही तालाब,बेडी पुलिया स्थित दुर्गादास तालाब और हनुमान मंदिर के समीप स्थित लोढ़वारा तालाब और बनकट तालाब का नाम प्रतिमा विर्सजन को सुझाया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा इन दोनों बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया।

इस गोष्ठी में माननीय विधायक मऊ-मानिकपुर श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी,जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव,नगरपालिका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र गुप्ता,अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट श्री पंकज अग्रवाल, एमएलसी श्री मान सिंह यादव के प्रतिनिधि श्री सरनाम सिंह एवं एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी के प्रतिनिधि श्री विवेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे।